

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

(विज्ञापित)


उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 220/XXIII/2023/04(03)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 द्वारा जारी उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023-24 व उत्तराखण्ड आबकारी नियमावली 2001 (अद्यतन संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जनपद नैनीताल अन्तर्गत, अवशेष अवधि हेतु निम्न देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जिस हेतु निम्न कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी व इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	प्राकिया का विवरण	स्थान, दिनांक व समय।
01	निर्धारित राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि व समय।	दिनांक 10.11.2023 को 12:00 बजे अपराह्न तक जिला आबकारी कार्यालय नैनीताल में।
02	आवेदन पत्र परीक्षण का समय।	दिनांक 10.11.2023 को 12:00 अपराह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक।
03	प्राप्त आवेदन पत्रों पर लॉटरी प्रकिया का समय।	दिनांक 10.11.2023 को अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे तक।
04	पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम राजस्व के सीलबन्ध ऑफर/प्रस्ताव पर आवेदन प्रस्तुत करने का समय।	दिनांक 10.11.2023 को अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय नैनीताल में।
05	ऑफर/प्रस्ताव खोले जाने का समय।	दिनांक 10.11.2023 को अपराह्न 03:00 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल में।

पुनर्व्यवस्थापन हेतु निर्धारित राजस्व का विवरण।

क्र० सं०	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार	2022-23 की अवशेष अवधि हेतु निर्धारित राजस्व (आवंटन तिथि से 31.03.2024 तक)	अनुज्ञापन शुल्क (कुल राजस्व का 01 प्रतिशत)	एम0जी0डी0	धरोहर धनराशि (कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत)	हैसियत की धनराशि (कुल राजस्व का 15 प्रतिशत)
01	देशी मदिरा दुकान रेलवे रोड हल्द्वानी।	49022249 /-	490000 /-	48532249 /-	12,25,557 /-	73,53,338 /-
02	देशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड हल्द्वानी।	30210564 /-	302000 /-	29908564 /-	7,55,265 /-	45,31,585 /-

उरोक्तानुसार मदिरा की दुकान हेतु इच्छुक/पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर पहचान पत्र, वांछित हैसियत(जी0-39) शपथ पत्र एवं धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ-साथ रु 60,000/- बैंक ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में देय हो सहित आवेदन/ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों/ऑफर पर जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक/ऑफर दाता से निर्धारित राजस्व या तदपश्चात अधिकतम प्राप्त राजस्व ऑफर पर दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। दुकान आवंटन होने के पश्चात आवंटी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करने के साथ समयानुसार औपचारिकतायें अनिवार्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.gov.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


 जिला आबकारी अधिकारी
 नैनीताल।

संख्या:- 1884/जि0आ0अधि0 नैनीताल/पुनर्व्यवस्थापन/2023-24 दिनांक 06 नवम्बर, 2023।

- 1- सचिव आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- संयुक्त आयुक्त आई0टी0, आबकारी मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से सादर प्रेषित की उक्त विज्ञापित को विभागीय पोर्टल व वेबसाइट में अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 4- क्षेत्रीय प्रतिनिधि अमर उजाला, दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन को दिनांक 07.11.2023 के उत्तराखण्ड प्रसंस्करण में उचित स्थान व राजकीय दरों में प्रकाशित करने हेतु।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

(विज्ञप्ति)

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 220/XXIII/2023/04(03)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 द्वारा जारी उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023-24 व उत्तराखण्ड आबकारी नियमावली 2001 (अद्यतन संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जनपद नैनीताल अन्तर्गत, अवशेष अवधि हेतु निम्न देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जिस हेतु निम्न कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी व इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	प्रक्रिया का विवरण	स्थान, दिनांक व समय।
01	निर्धारित राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि व समय।	दिनांक 10.11.2023 को 12:00 बजे अपराहन तक जिला आबकारी कार्यालय नैनीताल में।
02	आवेदन पत्र परीक्षण का समय।	दिनांक 10.11.2023 को 12:00 अपराहन से 12:30 बजे अपराहन तक।
03	प्राप्त आवेदन पत्रों पर लॉटरी प्रक्रिया का समय।	दिनांक 10.11.2023 को अपराहन 01:00 बजे से 02:00 बजे तक।
04	पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम राजस्व के सीलबन्द ऑफर/प्रस्ताव पर आवेदन प्रस्तुत करने का समय।	दिनांक 10.11.2023 को अपराहन 02:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय नैनीताल में।
05	ऑफर/प्रस्ताव खोले जाने का समय।	दिनांक 10.11.2023 को अपराहन 03:00 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल में।

पुनर्व्यवस्थापन हेतु निर्धारित राजस्व का विवरण।

क्र० सं०	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार	2022-23 की अवशेष अवधि हेतु निर्धारित राजस्व (आवंटन तिथि से 31.03.2024 तक)	अनुज्ञापन शुल्क (कुल राजस्व का 01 प्रतिशत)	एम0जी0डी0	धरोहर धनराशि (कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत)	हैसियत की धनराशि (कुल राजस्व का 15 प्रतिशत)
01	देशी मदिरा दुकान रेलवे रोड हल्द्वानी।	49022249 /-	490000 /-	48532249 /-	12,25,557 /-	73,53,338 /-
02	देशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड हल्द्वानी।	30210564 /-	302000 /-	29908564 /-	7,55,265 /-	45,31,585 /-

उरोक्तानुसार मदिरा की दुकान हेतु इच्छुक/पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर पहचान पत्र, वांछित हैसियत(जी0-39) शपथ पत्र एवं धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ-साथ रु 60,000/- बैंक ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में देय हो सहित आवेदन/ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों/ऑफर पर जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक/ऑफर दाता से निर्धारित राजस्व या तदपश्चात अधिकतम प्राप्त राजस्व ऑफर पर दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। दुकान आवंटन होने के पश्चात आवंटी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करने के साथ समयानुसार औपचारिकतायें अनिवार्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.gov.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

संख्या:-1884/जि0आ0अधि0 नैनीताल/पुनर्व्यवस्थापन/2023-24 दिनांक06 नवम्बर, 2023।

1- सचिव आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3- संयुक्त आयुक्त आई0टी0, आबकारी मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से सादर प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को विभागीय पोर्टल व वेबसाइट में अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

4- क्षेत्रीय प्रतिनिधि अमर उजाला, दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन को दिनांक 07.11.2023 के उत्तराखण्ड प्रसंस्करण में उचित स्थान व राजकीय दरों में प्रकाशित करने हेतु।

5- जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।